कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्रीमती विनोद, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नान्दोली मेडतिया (220083) जिला नागौर का स्थानान्तरण राउमावि लालास (219939), कुचामन सिटी जिला नगौर किया गया था किन्तु राउमावि लालास जिला नागौर में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में तत्समय विचाराधीन अपील संख्या 4562/2019 सुरेश कुमारी यादव बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य प्रकरण में स्थगन प्राप्त प्रधानाचार्य श्रीमती सुरेश कुमारी यादव के प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत होने के कारण दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई।

अपील संख्या 4562/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.01.2021 द्वारा श्रीमती सुरेश कुमारी यादव, प्रधानाचार्य राउमावि लालास जिला नागौर के सम्बन्ध में पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 16.12.2019 को कन्फर्म करते हुए अपीलार्थी को प्रशासनिक आवश्यकता में अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की प्रदत्त स्वतन्त्रता एवं दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर श्रीमती सुरेश कुमारी यादव, प्रधानाचार्य राउमावि लालास, कुचामन सिटी जिला नागौर को प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवं जनहित में आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की पालना में तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में दी जानी सुनिश्चित करें।

श्रीमती विनोद विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालास (219939), कुचामन सिटी जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सुरेश कुमारी/4562/2019 दिनांकः 01.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, कुचामन सिटी जिला नागौर को पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त आदेश की पालना में श्रीमती सुरेश कुमारी यादव को तत्काल कार्यालय हाजा हेतु कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)